न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

पीठासीन अधिकारी श्याम सिंह शेखावत, आर.ए.एस.

अपील संख्या 380/2020

ठाकुर जी मंदिर श्री केशोरायजी महाराज, विराजमान रेनवाल मांजी, तहसील फागी, जिला जयपुर जरिये सेवायत गोपाल लाल शर्मा पुत्र स्व. श्री सीताराम जी शर्मा, हाल निवासीः प्लॉट नंबर 91, मोतीश्री अपार्टमेन्ट, फ्लेट नंबर टी–2, कनक विहार, अजमेर रोड, जयपुर।

.... अपीलार्थी

बनाम

1. केसरा पुत्र स्व. मोहरू
2. कानाराम पुत्र स्व. मोहरू
3. रामेश्वर पुत्र स्व. मोहरू
4. सुरेश पुत्र स्व. रामचन्द्र
5. धर्मसिंह पुत्र स्व. रामचन्द्र
6. केली देवी पुत्री स्व. रामचन्द्र
7. सीता देवी पुत्री स्व. रामचन्द्र
8. शारदा देवी पुत्री स्व. रामचन्द्र
9. बरजी पत्नि स्व. रामचन्द्र
10. विनोद पुत्र स्व. नंदलाल
11. महेन्द्र पुत्र स्व. नंदलाल
12. पिंकी देवी पुत्री स्व. नंदलाल
13. मनफूल देवी पत्नि स्व. नंदलाल
14. श्योचन्द पुत्र स्व. कल्याण
15. हनुमान पुत्र स्व. कल्याण
16. श्रवण पुत्र स्व. कल्याण
17. रामस्वरूप पुत्र स्व. कल्याण
18. रामप्रसाद पुत्र स्व. कल्याण
19. मनफूली देवी पुत्री स्व. कल्याण
20. विमला देवी पुत्री स्व. कल्याण
21. तीजा देवी पत्नि स्व. कल्याण
    समस्त जाति जाट, निवासीः रेनवाल मांजी, तहसील फागी, जिला जयपुर।
22. तहसीलदार फागी, तहसील फागी, जिला जयपुर।

.......रेस्पोडेन्ट्स

अपील विरूद्व निर्णय डिक्री दिनांक 26.06.2020 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी फागी, जिला जयपुर वाद पत्र संख्या 116/2019 उनवान केसरा व अन्य बनाम श्योचन्द व अन्य अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थितः

रामवतार शर्मा एडवोकेट
विद्वान अधिवक्ता अपीलार्थी

शिवसिंह चौधरी एडवोकेट
विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट सं. 1 ल. 13

निर्णय दिनांकः 15/3/2022

राजस्व अपील प्राधिकारी जयपुर

:–निर्णय–:

1. अपीलार्थी द्वारा न्यायालय हाजा के समक्ष यह अपील न्यायालय उपखण्ड अधिकारी फागी, जिला जयपुर द्वारा वाद पत्र संख्या 116/2019 बउनवानी केसरा व अन्य बनाम श्योचन्द व अन्य में पारित निर्णय डिक्री दिनांक 26.06.2020 के विरूद्व अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत्, प्रस्तुत की गई है।

2. प्रकरण के संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि वादी ने अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष वाद पत्र बाबत घोषणा, दुरूस्ती इन्द्राज एवं स्थाई निषेधाज्ञा इस आशय का प्रस्तुत किया कि आराजी पूर्व साबिक खसरा नंबर 2424 रकबा 16 बिस्वा, 2425 रकबा 1 बीघा 6 बिस्वा, 2426 रकबा 1 बीघा 7 बिस्वा, 2427 रकबा 1 बीघा हाल खतौनी संख्या 417 के हाल खसरा नंबर 2424/1 रकबा 2 बिस्वा गै.मु. चाह, 2424/2 रकबा 14 बिस्वा, 2425/1 रकबा 11 बिस्वा, 2425/2 रकबा 15 बिस्वा, 2426 रकबा 1 बीघा 7 बिस्वा, 2427 रकबा 1 बीघा कुल किता 6 कुल रकबा 4 बीघा 9 बिस्वा भूमि वाके ग्राम रेनवाल मांजी, तहसील फागी, जिला जयपुर में स्थित है जिसमे खसरा नंबर 2425/2 रकबा 15 बिस्वा, 2426 रकबा 1 बीघा 7 बिस्वा में वादीगण का संपूर्ण हिस्सा एवं खसरा नंबर 2424/2 रकबा 14 बिस्वा, 2425/1 रकबा 11 बिस्वा, 2427 रकबा 1 बीघा में प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 8 का संपूर्ण हिस्सा एवं खसरा नंबर 2424/1 रकबा 2 बिस्वा गै.मु. चाह में वादीगण का 1/2 हिस्सा एवं प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 8 का 1/2 हिस्सा है एवं इसी हिस्सेनुसार वादीगण एवं प्रतिवादीगण अपने–अपने हिस्से अनुसार एकमात्र तन्हा खातेदार काश्तकार है एवं काबिज काश्त होकर लगान सरकारी जमा कराते आ रहे है। आराजीयात पर वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 8 अपने बुजुर्गो के समय से ही काबिज काश्त चले आ रहे है। आराजीयात वादीगण के पिता मोहरू पुत्र भूरा की खातेदारी भूमि रही है। आराजीयात का विधिवत मोहरू के देहान्त के पश्चात् विरासत का नामान्तकरण वादीगण के नाम से खोला गया है। आराजीयात के वादीगण एवं प्रतिवादीगण खातेदार काश्तकार है। आराजीयात का वादीगण एवं प्रतिवादीगण ने मान्य सक्षम अधिकारी प्रतिवादी संख्या 10 के समक्ष हाजिर होकर विधिवत तकासमा करवाकर खाते अलग करवाकर खातेदारी अधिकार सृजित किये है। आराजीयात पर वादीगण एवं प्रतिवादीगण नामानतकरण संख्या 995 दिनांक 08.05.2002 के अनुसार विधिवत तकासमा करवाकर अपने–अपने हिस्से अनुसार काबिज काश्त चले आ रहे है। आराजी पर कभी भी प्रतिवादी संख्या 9 का कब्जा काश्त नहीं रहा है। इस ग्राम रेनवाल मांजी में केशोराय जी महाराज का कोई मंदिर नहीं है उक्त आराजी मंदिर माफी की भूमि नहीं रही है न ही वर्तमान में है। आराजी वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 8 के पिता/पूर्वज मोहरू पुत्र भूरा की खातेदारी भूमि रही है जिस पर अपने बुजुर्गो के समय से ही वरवक्त पर्चा सेटलमेन्ट के समय से ही वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 8 के कब्जे काश्त व खातेदारी भूमि रही है। राज्य सरकार द्वारा पारित परिपत्र की बिना सक्षम न्यायालय के अनुमति के बिना खातेदारों को सुनवाई का अवसर दिये ही गलत रूप से नोट राजस्व रिकॉर्ड में लगाया गया है जो विधिक प्रावधानों के विपरीत होने से शून्य व प्रभावहीन है। आराजी का राज्य सरकार द्वारा परिपत्र द्वारा गलत नोट लगाया जाकर प्रतिवादी संख्या 9 के नाम किया गया राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद विधि विरूद्व होने से दुरूस्त किये जाने योग्य है

राजस्व अपील प्राधिकारी
जयपुर

इसलिये न्यायहित में उक्त आराजीयात में प्रतिवादी संख्या 9 के नाम किया गया अविधिक आदेश निरस्त किया जाकर वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 8 को खातेदारी अधिकारों की घोषणा करवाने एवं राजस्व रिकॉर्ड में इन्द्राज दुरूस्ती करवाने के कानूनन अधिकारी है। वादीगण एवं प्रतिवादीगण कानूनन खातेदारी अधिकारों की घोषणा करवाने के अधिकारी है। आराजी का जागीरी वरवक्त पर्चा सेटलमेन्ट संवत् 2011 में वादीगण के पिता/पूर्वज मोहरू ही के नाम खुद काश्त होने व कब्ज काश्त होने से जारी किया गया। आराजी भूमि मंदिर की खुद काश्त भूमि नहीं थी। आराजीयात मोहरू पुत्र भूरा के नाम की खातेदारी भूमि है, मोहरू के देहान्त के पश्चात् विरासत का नामान्तकरण ग्राम पंचायत रेनवाल मांजी द्वारा विधिवत जांच कर खोला गया। आराजी के वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 8 के पिता/पूर्वज रिकॉर्डेड खातेदार काश्तकार रहे है। आराजीयात पर वरवक्त पर्चा सेटलमेन्ट जागीरी के पूर्व से ही काबिज काश्त चले आ रहे है। आराजीयात पर कभी भी किसी अन्य व्यक्तियों का कब्जा काश्त नहीं रहा है। आराजी पर निर्बाध रूप से अपने पूर्वजों के समय से ही काबिज काश्त चले आ रहे है इसलिये वादीगण एडवर्स पजेशन के आधार पर खातेदारी अधिकार प्राप्त करने के अधिकारी है। आराजीयात वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 8 के पिता व पूर्वज मोहरू मजकूर की खातेदारी भूमि रही है। वरवक्त जागीरी एवं पर्चा सेटलमेन्ट से पूर्व से उक्त आराजीयात पर कब्जा काश्त रहा है। आराजी का पर्चा मोहरू पुत्र भूरा को उक्त आराजी पर खुदकाश्त होने से सही जारी किया गया। आराजी मंदिर केशोराय जी महाराज की खुदाकाश्त की भूमि नहीं रही है। वादीगण एवं प्रतिवादीगण के पिता/पूर्वज मोहरू की खुदकाश्त की खातेदारी भूमि रही है एवं वादीगण एवं प्रतिवादीगण उक्त आराजी की कानूनन खातेदारी अधिकारों की घोषणा करवाने व दुरूस्ती इन्द्राज करवाने के अधिकारी है। वादीगण के पिता स्व. मोहरू का जागीरी के समय से ही वरवक्त पर्चा सेटलमेन्ट पर्चा खतौनी संख्या 2011 से 2030 के कॉलम संख्या 05 में खुदकाश्त कृषक होने से सही जारी किया गया है। संवत् 2011 से पूर्व ही मोहरू का खुदकाश्त व काबिज काश्त रहा है। खसरा गिरदावरी लगान रसीदे संवत् 2015 से 2018 मोहरू पुत्र भूरा ने सावणु उन्हालू फसल काश्त कर लगान जमा करवाया है व खसरा गिरदावरी संवत् 2011 से 2033 से पूर्णतया साबित है कि उक्त आराजीयात पर वादीगण का कब्जा काश्त निर्बाध रूप से चला आ रहा है उक्त भूमि मंदिर केशोराय जी महाराज की खुदाकाश्त भूमि कभी भी नहीं रही है। भूमि वादीगण की खुदकाश्त व खातेदारी भूमि है जिसकी घोषणा करवाने के काननून अधिकारी वादीगण है। जमाबंदी संवत् 2056 से 2059 खेवट खतौनी संख्या 370 में कॉलम संख्या 04 में खातेदार काश्तकार रामचन्द्र, केसरा, काना, रामेश्वर, नन्दलाल पिता मोहरू व भूरी बेवा मोहरू जाति जाट सा. देह के नाम दर्ज है। जमाबंदी संवत् 2056 लगायत 2059 खतौनी संख्या 370 कॉलम संख्या 04 में खातेदार काश्तकार का नाम दर्ज है। राज्य सरकार द्वारा कॉलम संख्या 17 में जयपुर कलक्टर आदेश क्रमांक 91/37–53 दिनांक 01.01.1992 से पुजारी का नाम हटाने के आदेश प्राप्त हुये है लेकिन तथाकथित आदेश जयपुर कलक्टर के आदेश पुजारी के नाम हटाने बाबत हुये है। पुजारी का अंकन नहीं हटाया जाकर अवैधानिक तरीके से बिना विधिवत प्रक्रिया व विधि के नियमों के विपरीत जाकर खातेदारों के नाम हटाये गये है जो सरासर गलत है। यह नोट बिना किसी विधिवत नामान्तकरण के बिल्कुल अवैध व अनियमित तरीके से लगाया गया जो कानूनन खारिज किये जाने योग्य है। आराजी के मोहरू पुत्र भूरा के देहान्त के पश्चात्

राजस्व अपील प्राधिकारी
जयपुर

वारिसान रामचन्द्र, केसरा, काना, रामेश्वर, नन्दलाल पुत्रान मोहरू, भूरी पत्नि मोहरू खातेदार काश्तकार रहे एवं उक्त आराजीयात पर शांतिपूर्वक काबिज काश्त चले आ रहे है लेकिन राजकीय कर्मचारियों द्वारा बिना विधिवत जांच किये ही व बिना खातेदारों को सुनवाई का अवसर दिये बिना ही एवं विधिक प्रक्रिया का पालन न करते हुये ग्राम रेनवाल मांजी की जमाबंदी संवत् 2056–2059 के खाता संख्या 370 के सामने कार्यालय कलक्टर जयपुर के तथाकथित आदेश दिनांक 01.01.1992 का नोट अवैध व अनियमित तरीके से कर दिया जो सरासर गलत है। यह नोटि बिना किसी नामान्तकरण के बिल्कुल अवैध व अनियमित तरीके से लगाया गया है जो विधि विरूद्व होने से खारिज योग्य है। जमाबंदी के खाता संख्या 370 के सम्मुख अंकित नोट अवैधानिक है जिसको हटाया जाकर खातेदारों का नाम राजस्व रिकॉर्ड में अंकन किया जाना न्यायोचित है। अभी कुछ समय पूर्व प्रतिवादी ने वादी को धमकी दी कि उक्त आराजी मंदिर केशोराय जी महाराज के नाम लगा दी है इसलिये हम तुम्हे कब्जे काश्त से बेदखल करेगे एवं कानूनी कार्यवाही की जावेगी अगर प्रतिवादीगण अपने नापाक इरादों में सफल हो गये तो वादीगण को असहनीय हानि होगी एवं व्यर्थ मुकदमेबाजी बढेगी इस कारण वादीगण को यह वाद पत्र पेश करना आवश्यक हुआ है। वादी ने वाद के अन्य बिन्दुओं के साथ वाद कारण अंकित करते हुये, अंत में यह अनुतोष चाहा है कि वाद वादीगण विरूद्व प्रतिवादीगण स्वीकार किया जाकर इस आशय की घोषणा की डिक्री पारित की जावे कि विवादग्रस्त आराजीयात खसरा नंबर 2425/2 रकबा 15 बिस्वा, 2426 रकबा 1 बीघा 7 बिस्वा में वादीगण का संपूर्ण हिस्सा एवं खसरा नंबर 2424/2 रकबा 14 बिस्वा, 2425/1 रकबा 11 बिस्वा, 2427 रकबा 1 बीघा में प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 8 का संपूर्ण हिस्सा एवं खसरा नंबर 2424/1 रकबा 2 बिस्वा गै.मु. चाह में वादीगण का 1/2 हिस्सा एवं प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 8 का 1/2 हिस्से के खातेदार काश्तकार है एवं काबिज काश्त है। इस बाबत पालना रिपोर्ट तहसीलदार फागी को भिजवायी जावे। वादीगण का वाद विरूद्व प्रतिवादीगण दुरूस्ती इन्द्राज डिक्री फरमाया जाकर प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 8 का नाम राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद किये जाने बाबत तहसीलदार फागी को तहरीर जारी फरमाई जावे। प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद फरमाया जावे कि आराजीयात में वादीगण के कब्जे काश्त उपयोग/उपभोग में बाधा उत्पन्न न करें, न ही आराजी के कब्जे काश्त से बेदखल करें, ऐसा ना तो स्वयं करें ना ही किसी अन्य से करावे। तत्पश्चात् अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अभिभाषक पक्षकारान् की बहस सुनकर बाद बहस मनन निर्णय दिनांक 26.06.2020 के माध्यम से वादी वाद स्वीकार कर आराजी खसरा नंबर 2425/2 रकबा 15 बिस्वा, 2426 रकबा 01 बीघा 07 बिस्वा में वादीगण को संपूर्ण हिस्से का व खसरा नंबर 2424/2 रकबा 14 बिस्वा, खसरा नंबर 2425/1 रकबा 11 बिस्वा, खसरा नंबर 2427 रकबा 01 बीघा में प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 8 को संपूर्ण हिस्से का व खसरा नंबर 2424/1 रकबा 02 बिस्वा गै.मु. चाह में वादीगण को 1/2 हिस्से का एवं प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 8 को 1/2 हिस्से का खातेदार घोषित किया। अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय से व्यथित होकर अपीलार्थी ने उक्त अपील न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत की।

3. अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर, तलबी रेस्पोडेन्ट्स जारी की गई। अभिभाषक पक्षकारान् की बहस सुनी गई। दौराने बहस अभिभाषक अपीलार्थी ने सर्वप्रथम प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 96 सी.पी.सी. के संबंध में निवेदन किया कि

राजस्व अपील प्राधिकारी
जयपुर

रेस्पोडेन्ट्स द्वारा जो कि वाद पत्र में वादी एवम् प्रतिवादी है, ने आपसी मिलीभगत कर अपीलान्ट् को वाद में पक्षकार न बनाकर अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष मिथ्या तथ्य प्रस्तुत कर अपीलाधीन निर्णय डिक्री के माध्यम से वाद डिक्री करवाया है जो प्रथमदृष्टया ही विधि विरूद्व होने से खारिज किये जाने योग्य है। विवादग्रस्त आराजीयात राजस्व रिकॉर्ड में मन्दिर श्री केशोरायजी के नाम अंकित है एवम् अपीलार्थी मंदिर श्री केशोरायजी का पुजारी सेवायत है। रेस्पोडेन्ट्स द्वारा अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष अपीलान्ट को वाद में पक्षकार कायम नहीं किया गया जो विधिनुसार नितान्त आवश्यक था। इस कारण अपीलार्थी मंदिर के सेवायत की हैसियत से अपील के साथ संलग्न प्रार्थना पत्र धारा 96 जाप्ता दीवानी प्रस्तुत कर रहा है जिसे स्वीकार कर न्यायहित में अपील को सुनवाई हेतु अभिलेख पर लिया जावे। प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम के संबंध में निवेदन किया कि रेस्पोडेन्ट्स द्वारा वाद पत्र में अपीलान्ट को पक्षकार नहीं बनाया गया इस कारणवश अपीलान्ट को अपीलाधीन निर्णय की जानकारी नहीं हुई। अपीलान्ट को सर्वप्रथम जानकारी दिनांक 26.08.2020 को तब हुई जब हल्का पटवारी ने राजस्व अभिलेख में मंदिर माफी भूमि के अंकन के स्थान पर रेस्पोडेन्ट के नाम का अंकन होने की जानकारी दी। तत्पश्चात् अपीलान्ट द्वारा बिना देरी दिनांक 27.08.2020 को अपने अभिभाषक से सम्पर्क कर, कानूनी सलाह लेकर अपीलार्थी द्वारा अपील अवलिम्ब प्रस्तुत की गई। अपील प्रस्तुति में देरी उक्त कारणवश हुई है, जानबूझकर कारित नहीं की गई है। इस कारण अपील प्रस्तुति में हुई देरी को क्षमा किया जाकर अपील को अंदर मियाद माना जावे। अपील के संबंध में अभिभाषक अपीलार्थी ने निवेदन किया कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा इस महत्वपूर्ण तथ्य की ओर ध्यान नहीं दिया कि आराजीयात मंदिर माफी की भूमि है इस कारणवश मंदिर की भूमि होने से मंदिर के हिताधिकारी को सूचना प्रेषित कर सुनवाई का अवसर प्रदान कर ही निर्णय पारित किया जावे। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा न्याय के प्राथमिक सिद्धान्तों की पालना ही नहीं की गई है। विवादग्रस्त आराजीयात मंदिर निर्माण व मूर्ति स्थापना के समय से ही विक्रम संवत् 1970 में जयपुर स्टेट के हिज हाइनेस की ओर से पुजारी श्री गौरीलाल पुत्र ओंकारमल को रेनवाल मांजी में स्थित मंदिर ठाकुर श्री केशोराय जी महाराज की सेवा पूजा व भोग प्रसादी के संबंध में जरिये ताम्र पत्र के माध्यम से प्रदान की गई थी। अपीलार्थी गौरीलाल जी का वंशज है एवम् वर्तमान में मंदिर के सेवायत की हैसियत से मंदिर की सेवा–पूजा करता है। रेस्पोडेन्ट्स ने वाद पत्र में आपसी मिलीभगत कर, अपीलान्ट को पक्षकार कायम न कर अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष मिथ्या तथ्य वर्णित करते हुए वाद डिक्री करवाया है। रेस्पोडेन्ट्स विवादग्रस्त आराजीयात का खातेदार मोहरू पुत्र भूरा को बता रहे है किन्तु रेस्पोडेन्ट्स ने वाद में यह वर्णित नहीं किया है कि रेस्पोडेन्ट्स का मोहरू पुत्र भूरा से क्या संबंध है एवम् वादी ने किस हैसियत से वाद प्रस्तुत किया है। रेस्पोडेन्ट्स द्वारा साजिशपूर्वक अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष मिथ्या तथ्य वर्णित कर अपीलाधीन निर्णय के माध्यम से वाद डिक्री करवाया है। अतः अपील अपीलार्थी स्वीकार कर, अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 26.06.2020 खारिज किये जावे।

4. अभिभाषक रेस्पोडेन्ट ने अभिभाषक अपीलान्ट के कथनों का खंडन करते हुए सर्वप्रथम प्रार्थना पत्र धारा 96 जाप्ता दीवानी के संबंध में निवेदन किया कि अपीलान्ट विवादग्रस्त आराजीयात में हितबद्व पक्षकार नहीं है। विवादग्रस्त आराजीयात जागीर की भूमि होकर माफी मंदिर केशोराय जी महाराज की भूमि रही है किन्तु माफीदार की खुदाकाश्त भूमि न होकर उपलब्ध राजस्व रिकॉर्ड

राजस्व अपील प्राधिकारी
जयपुर

खतौनी बंदोबश्त जमाबंदी ग्राम रेनवाल मांजी तहसील फागी, जिला जयपुर संवत् 2011 से 2030 अनुसार क्रम संख्या 395 व कॉलम (2) खाता संख्या 421, कॉलम 3 नाम भोक्ता में माफी मंदिर केशोराय जी महाराज, कॉलम (5) नाम कृषक में मोहरू वल्द भूरा कौम जाट सा. देह काश्त 2 साल अंकित है अर्थात उक्त भमि भोक्ता माफी मंदिर केशोराय जी विराजमान देह के ''खुदकाश्त'' की भूमि नहीं थी। कृषक (Tenant), वादीगण के हकपूर्वाधिकारी मोहरू वल्द भूरा कौम जाट, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 प्रभाव में आने के पूर्व से रहा है जिसका पर्चा खातेदारी संवत् 2011 से 2030 जागीर पुर्नग्रहण होने के पूर्व से मोहरू वल्द भूरा रिकॉर्डेड खातेदार काश्तकार दर्ज रिकॉर्ड है। जमाबंदी संवत् 2052–2055 अनुसार मोहरू वल्द भैरू खातेदार काश्तकार रहा है एवम् मोहरू के स्वर्गवास पश्चात् वादीगण के नाम नामान्तकरण तस्दीक किया गया। मंदिर माफी की भूमि जागीर अधिनियम 1952 की धारा 21 की पालना में जारी गजट नोटिफिकेशन दिनांक 01.07.1963 अनुसार पुर्नग्रहित हो चुकी है एवम् भोक्ता के स्थान पर भूमिधारी राजस्थान सरकार के नाम खातेदारी अंकित हो चुकी है। गजट नोटिफिकेशन दिनांक 01.07.1963 पश्चात् माफीदार मंदिर के पुजारी को माफी मंदिर की भूमि के संबंध में किसी भी प्रकार की कार्यवाही किये जाने का न्यायिक अधिकार प्राप्त नहीं है। उपरोक्तानुसार अपीलार्थी को मंदिर माफी की भूमि के संबंध में अपील प्रस्तुत करने का विधिक अधिकार प्राप्त नहीं है। इस कारण अपीलार्थी का प्रार्थना पत्र धारा 96 जाप्ता दीवानी खारिज करते हुए, अपील भी खारिज की जावे। प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम के संबंध में अभिभाषक रेस्पोडेन्ट ने निवेदन किया कि अपीलार्थी को अपीलाधीन निर्णय की निर्णय दिनांक से जानकारी रही है किन्तु अपीलार्थी द्वारा जानबूझकर उदासीन रहते हुए तय समयावधि में अपील प्रस्तुत नहीं की गई है। अपीलार्थी/प्रार्थी ने देरी बाबत कोई ठोस कारण नहीं बताये है इस कारण अपीलार्थी/प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम खारिज किया जावे। अपील के संबंध में अभिभाषक रेस्पोडेन्ट ने दौराने बहस निवेदन किया कि विवादग्रस्त आराजीयात साबिक खसरा नंबर 2424, 2425, 2426 व 2727 कुल किता 4 कुल रकबा 4 बीघा 9 बिस्वा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 प्रभाव में आने के पूर्व राजस्व रिकॉर्ड खतौनी बंदोबश्त ग्राम रेनवाल मांजी, तहसील फागी, जिला जयपुर संवत् 2011 से 2030 अनुसार कॉलम संख्या (3) नाम भोक्ता में माफी मंदिर केशोराय जी महाराज व कॉलम संख्या (5) नाम कृषक में मोहरू पुत्र भूरा कौम जाट सा देह के नाम अंकित है। विवादग्रस्त आराजीयात माफी मंदिर केशोराय जी महाराज के ''खुदकाश्त'' की भूमि कभी भी नहीं रही है। खसरा गिरदावरी संवत् 2011 से 2033 अनुसार मोहरू पुत्र भूरा कौम जाट के कब्जे काश्त व खातेदारी की भूमि रही है। पर्चा सेटलमेन्ट संवत् 2011 से 2030 जारी होने के पूर्व बजमाना जागीर से मोहरू पुत्र भूरा आराजीयात का रिकॉर्डेड खातेदार काश्तकार रहा है। राज्य सरकार के परिपत्र व जयपुर कलक्टर के आदेश क्रमांक 91/37/53 दिनांक 01.01.1992 की पालना करते हुए राजस्व कर्मचारियों ने त्रुटिपूर्वक तत्कालीन खातेदार रामचन्द, केशरा, काना, रामेश्वर, नन्दलाल पि. मोहरू व भूरा बेवा मोहरू जो कि मोहरू पुत्र भूरा के वारिसान है, का नाम विधि विरूद्ध तरीक से राजस्व रिकॉर्ड में हजफ कर दिया जबकि राज्य सरकार के परिपत्र में मंदिर के पुजारियों का नाम हटाने के आदेश जयपुर कलेक्टर को दिये गये थे। रेस्पोडेन्ट्स द्वारा अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 136 के तहत् वाद के माध्यम से उक्त लिपिकीय त्रुटि को ही दुरूस्त करवाया है। वादीगण आराजीयात के पूर्व से ही खातेदार है एवम् काबिज काश्त है। विवादग्रस्त आराजीयात माफी मंदिर केशोराय जी महाराज के ''खुदकाश्त'' की भूमि कभी भी नहीं रही है। गजट नोटिफिकेशन दिनांक

राजस्व अपील प्राधिकारी
जयपुर

01.07.1963 पश्चात् माफीदार मंदिर के पुजारी को माफी मंदिर की भूमि के संबंध में किसी भी प्रकार की कार्यवाही किये जाने का न्यायिक अधिकार प्राप्त नहीं है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण के संपूर्ण तथ्यों पर विचार कर, अपीलाधीन निर्णय सही पारित किया है, जिसमें कोई त्रुटि नहीं है। अतः अपील अपीलार्थी आधारहीन होने से खारिज की जावे। विचाराधीन प्रकरण में अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष अपीलार्थी पक्षकार वाद नहीं होने की वजह से अपीलार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र धारा 96 जाप्ता दीवानी मय प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम के साथ अपील प्रस्तुत की गई है। चूंकि विवादग्रस्त आराजीयात की खतौनी बंदोबश्त जमाबंदी संवत् 2011 से 2030 के कॉलम संख्या 3 में अपीलार्थी का नाम अंकन होने से हितधारी पक्षकार प्रतीत होते है एवम् अपीलार्थी अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष विचाराधीन वाद में पक्षकार वाद नहीं बनाये गये थे, इस कारणवश मियाद के समय प्रार्थी/अपीलार्थी को अपीलाधीन निर्णय व डिक्री की जानकारी होना संभव नहीं माना जा सकता है। अतः अपीलार्थी/प्रार्थी द्वारा अपील के साथ प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 96 जाप्ता दीवानी एवम् प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम स्वीकार करते हुए अपील में गुणावगुण पर की गई बहस पर विचार कर, अपील का निस्तारण किया जाना न्यायोचित समझा जाता है।

5. अभिभाषक पक्षकारान् की बहस पर मनन किया गया। अपील मीमों एवं अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रश्नगत आराजीयात के राजस्व रिकॉर्ड खतौनी बंदोबश्त जमाबंदी संवत् 2011 से 2030 के कॉलम संख्या संख्या 5 नाम कृषक में मोहरू पुत्र भूरा कौम जाट साकिन देह काश्त दो साल अंकित है जिससे यह तथ्य स्पष्ट है कि प्रश्नगत आराजी मोहरू वल्द भूरा जाट को कृषि हेतु जागीरदार द्वारा बताई हुई थी जिसका तात्पर्य यह है कि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के प्रभाव में आने के पूर्व से ही वादी/रेस्पोडेन्ट्स प्रश्नगत आराजी पर काबिज काश्त रहे है। जागीर पुर्नग्रहण अधिनियम 1952 के प्रभाव में आने के पश्चात् मन्दिर माफी की आराजी अर्थात जागीर की आराजी उक्त अधिनियम की धारा 21 की अनुपालना में पुर्नग्रहण होने के पश्चात् उक्त अधिनियम की धारा 22 की अनुपालना में माफीदार के हक अधिकार समाप्त हो गये एवम् प्रश्नगत आराजी राज्य सरकार में निहित होने के पश्चात् उस पर काबिज काश्तकार को स्वतः ही खातेदारी अधिकार प्राप्त हो गये एवम् मोहरू वल्द भूरा के इन्तकाल के पश्चात् उसके वारिसान् वादी/रेस्पोडेन्ट्स के हक में प्रश्नगत आराजी की खातेदारी दर्ज हो गई। यहां यह तथ्य स्पष्ट किया जाना आवश्यक है कि प्रश्नगत आराजी मोहरू पुत्र भूरा के नाम बतौर पुजारी नहीं लगी थी बल्कि काश्त हेतु प्रश्नगत आराजी दी हुई थी जिससे भूमि सुधार एवम् जागीर पुर्नग्रहण अधिनियम 1952 के प्रभाव में आने से बाई ऑपरेशन ऑफ लॉ काबिज काश्तकार अर्थात मोहरू वल्द भूरा बतौर काबिज काश्तकार प्रश्नगत आराजी के सन्दर्भ में खातेदार हो गये। दौराने बहस न्यायालय हाजा के समक्ष जयपुर जिला कलेक्टर के पत्र क्रमांक 91/37–53 दिनांक 01.01.1992 का तथ्य उठाया गया जिसके अनुसार जिला कलेक्टर द्वारा प्रश्नगत आराजी के सन्दर्भ में पुजारी का नाम हटाने के आदेश दिये गये है जबकि प्रश्नगत आराजी पर कोई पुजारी के बतौर काबिज ही नहीं रहा है ना ही उक्त पत्र की कोई प्रति अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत की गई है अन्यथा भी जिला कलेक्टर द्वारा सन्दर्भित पत्र उनके समक्ष किस विचाराधीन प्रकरण के माध्यम से जारी किया गया है कतई स्पष्ट नहीं है। इस सन्दर्भ में वादी/रेस्पोडेन्ट द्वारा यह भी कथन किया गया है कि यदि कोई प्रकरण श्रीमान् जिला कलेक्टर के समक्ष विचाराधीन रहा होता तो वादी/रेस्पोडेन्ट जो कि प्रश्नगत आराजी पर काबिज खातेदार चले आ रहे है, को सुनवाई का अवसर अवश्य दिया जाता।

राजस्व अपील प्राधिकारी
जयपुर

उपरोक्त विवेचन अनुसार प्रश्नगत आराजीयात पर रेस्पोडेन्ट्स/वादी के पूर्वज मोहरू पुत्र भूरा कौम जाट काबिज काश्त होने से बॉई ऑपरेशन ऑफ लॉ खातेदार काश्तकार हो गये है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय व डिक्री दिनांक 26.06.2020 रेस्पोडेन्ट्स/वादी के पक्ष में पारित किये जाने में कोई त्रुटि कारित नहीं की गई, फलस्वरूप अपील अपीलान्ट खारिज किया जाना न्यायसंगत प्रतीत होता है।

5. अतः अपील अपीलान्ट खारिज कर, अधिनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी फागी, जिला जयपुर द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 26.06.2020 यथावत रखे जाते है। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

6. निर्णय आज दिनांक 15/3/2022 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

राजस्व अपील प्राधिकारी
जयपुर

राजस्व अपील प्राधिकारी जयपुर (राजस्थान) सत्यमेव जयते